न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

प्रकरण क्रमांक/48/सी–145(धारा 92)/2017–18 दिनांक 12.03.2018

म.प्र. शासन
द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार, ... आवेदक

विरुध्द

1. श्री सूरज रघुनाथ, ... अनावेदगण
   सरपंच
2. श्री दिनेश पंवार,
   ग्राम रोजगार सहायक
   ग्राम पंचायत सांडसकला
3. श्री चन्द्रकांत भारद्वाज
   तत्का. उपयंत्री
   जनपद पंचायत खकनार

(पारित आदेश दिनांक 29/1/19)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के पत्र कमांक/1873 दिनांक 10.07.2017 द्वारा सरपंच श्री सूरज रघुनाथ, सहायक सचिव श्री दिनेश पंवार, उपयंत्री श्री चन्द्रकांत भारद्वाज के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत गया। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रकरण दिनांक 12.03.2018 को दर्ज किया गया।

मनरेगा योजनान्तर्गत निस्तार तालाब निर्माण कार्य में जेसीबी मशीन का उपयोग पाये जाने से 174479/–रू. की वसूली की गई।

स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत 50 व्यक्तिगत शौचालय 6000/–रू. प्रति शौचालय के मान से 300000/– मात्र, 1 बनाया गया एवं 49 नही बनायें। कुल राशि 288000/–रू. की अनियमितता की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के पत्र कमांक/225/एमजीएनआरईजीएस/2017 दिनांक 13.04.2017 द्वारा संबंधित को सूचना भी दी गई परन्तु राशि जमा नही की गई है। कार्यालयीन पत्र कमांक/ 2638–40 /दिनांक 14.07.2017 द्वारा संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्यालयीन पत्र कमांक/2867–69/दिनांक 21.07.2017 द्वारा राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।

शिकायतकर्ता श्रीमति रूक्मनी पति कैलाश राठौर ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा शिकायत दिनांक 06.03.2017 में बताया है कि अनावेदकगणें द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत निस्तार तालाब श्री सुरेश लक्ष्मीचन्द्र के खेत के पास बनाया जा रहा है, उक्त तालाब निर्माण कार्य में मात्र 10 से 15 मजदूर काम पर लगाये जा रहे है। निर्माण कार्य 12 दिन चला अनावेदकगण द्वारा मौके का फायदा उठाकर रात में जेसीबी मशीन द्वारा काम करवाया गया। हमारा गांव एवं मेरा परिवार मजदूरी पर ही निर्भर है मै वार्ड कमांक 15 से पंच हूँ। सरपंच द्वारा मजदूरों से काम ना करवाकर जेसीबी से काम करवाया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के पत्र कमांक/6794/एमजीएनआरईजीएस/2017 दिनांक 31.03.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन के साथ वसूली हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ शिकायतकर्ता पंच श्रीमति रूक्मनी पति कैलाश राठौर ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांक 06.03.2018 के संबंध में शिकायतकर्ता श्रीमति रूक्मनी पति कैलाश राठौर के दिनांक 11.03.2017 को कथन लिये गये, श्रीमति रूक्मनी पति कैलाश राठौर ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा अपने कथन में अवगत कराया गया कि सरपंच श्री सूरज रघुनाथ, सहायक सचिव द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत निस्तार तालाब निर्माण कार्य श्री सुरेश लक्ष्मीचन्द्र के खेत के पास मजदूरों के साथ–साथ जेसीबी मशीन से भी रात में काम कराया गया है। श्रीमति रूक्मनी पति कैलाश राठौर द्वारा अपने कथन में भी वही बात कही है।

मस्टर रोल कमांक 7525 दिनांक 25.02.2017 में 58 मजदूर अंकित किये गये है। जिसमें से 41 कार्यरत बताये गये है। जिसमें श्रीमति रूक्मनीबाई भी कार्यरत है।

श्री दिनेश पंवार ग्राम रोजगार सहायक/सहायक सचिव ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा दिनांक 22.12.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि 50 शौचालय का निर्माण कार्य प्रयास करके पूर्ण कराये गये जबकि श्री प्रकाश फतेहसिंह पंवार को वित्तीय प्रभार उनके पास था। सीसी 3 दिवस में प्रस्तुत करूंगा। नियमानुसार मजदूरों से कार्य कराया गया है।

श्री प्रकाश पंवार तत्का सचिव ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा दिनांक 01.02.2018 को प्रस्तुत जवाब में शौचालय बना लिये गये है। ग्राम पंचायत सांडसकला के वर्तमान सचिव की सत्यापन रिपोर्ट संलग्न है। 50 व्यक्तियों की सूची लगाई गई है।

श्री दिनेश पंवार ग्राम रोजगार सहायक/सहायक सचिव ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा दिनांक 12.10.2016 द्वारा प्रस्तुत जवाब में 46 शौचालय बनवा दिये है इस संबंध में शिकायत हुई थी जो बंद हो चुकी है। निस्तार तालाब विधिवत बनाये गये है। सी.सी. उपयंत्री द्वारा प्रमाणित की गई है। जो स्वंय भी आरोपी है।

श्री प्रकाश फतेहसिंह तत्का सचिव ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा दिनांक 31.07.2017 को प्रस्तुत जवाब में 33 शौचालय पूर्ण होना बताया है 17 शौचालय अपूर्ण है। शौचालय अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु सरपंच/सचिव को निर्देशित करने हेतु निवेदन किया गया।

श्री राजबहादुरसिंह दण्डोतिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार द्वारा दिनांक 11.09.2018 को प्रस्तुत कथन में अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता श्रीमति रूक्मणीबाई की शिकायत तालाब निर्माण में जेसीबी से कार्य कराने संबंधी प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच हेतु सहायक परियोजना अधिकारी श्री चौहान को भेजा गया था जिनके द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि कार्य में जे.सी.बी. द्वारा तालाब निर्माण किया गया है। शिकायतकर्ता एवं रोजगार सहायक, उपयंत्री के कथन लिये गये जिसमें यह पया गया कि मस्टर पर फर्जी हाजिरी दर्ज कर राशि रूपये 174479/-रू का व्यय किया गया है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मात्र 13 - 14 मजदूरों द्वारा मौके पर करना पाया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मेरे द्वारा संबंधित उपयंत्री, सरपंच एवं सहायक सचिव से इस कार्य पर व्यय की गई राशि रू 174479/- समानुपातिक आधार पर वसूली हेतु प्रकरण श्रीमान की ओर दिनांक 31.03.2017 को प्रेषित किया गया है। उपयंत्री श्री चन्द्रकांत भारद्वाज, सरपंच श्री सूरज रघुनाथ, श्री दिनेश पंवार ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सांडसकला के विरूद्ध वसूली का प्रस्ताव भेजा है। मेरे द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2017 जांच अधिकारी सहायक परियोजना अधिकारी की रिपोर्ट का अध्ययन करके भेजा गया है। मेरे द्वारा सहायक परियोजना अधिकारी के प्रतिवदन का अध्ययन में अनियमितता पाये जाने पर प्रतिवेदन भेजा है। मेरे द्वारा भी अनावेदकगणों को राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किये गये थे, परन्तु राशि जमा न करने पर यह प्रस्ताव दिनांक 31.03.2017 को भेजा गया है।

श्री दीपक खेडे ब्लाक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत खकनार द्वारा दिनांक 31.07.2018 को प्रस्तुत कथन में अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा दिनांक 22.05.2018 को जांच की गई जिसमें पाया गया कि वर्ष 2014-15 में 50 शौचालय की राशि निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत 12000/- के हिसाब से 6,00,000/- रूपये प्रदाय की गई थी जिसमें से तत्कालिन सरपंच एवं सचिव के द्वारा मात्र 19 शोचालय का निर्माण कराया है शेष 31 शौचालय का निर्माण अधुरा है, प्रथम किश्त जिनके 6000/- के हिसाब से 50 हितग्राही के खाते में राशि प्रदाय नहीं की गई है। राशि 282047/-रू जो कि वेन्डरो के माध्यम से जो बुलाई गई थी जो हितग्राही को नही मिली है। 282047/- वेट काटकर वसूली योग्य है। हितग्राहीयों को किसी प्रकार की कोई सामग्री वितरीत नही की है।

श्री मुकेश पिता भीमसिंह चौहान तत्का. अतिरिक्त कार्यकम अधिकारी जनपद पंचायत खकनार द्वारा दिनांक 29.09.2018 को प्रस्तुत कथन में अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत साडसकला में जेसीबी मशीन से निस्तार तालाब निर्माण के कार्य की जांच दिनांक 11.03.2017 को की गई थी। मौका स्थल मुआयना करने पर जेसीबी मशीन के टायरों के निशान पाये गये एवं शिकायतकर्ता श्रीमति रूक्मणी पति कैलाश अर्जुन से भेट कर उनके लिखित कथन भी लिये गये मस्टर रोलो में फर्जी हाजिरी की जाना भी पाया गया। उक्त प्रकरण सरपंच, सहायक सचिव, एवं उपयंत्री की संलिप्ता पाई गई। मेरे द्वारा ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार कार्य पर मजदूरी राशि रूपये 89679/- एवं सामग्री राशि 84800/- कुल राशि रूपये 174479/- की वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की गई है।

श्री चन्द्रकांत भारद्वाज तत्का. उपयंत्री जनपद पंचायत खकनार द्वारा दिनांक 29.09.2018 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम साडसकला में निस्तार तालाब श्री सुरेश लक्ष्मणचन्द्र के खेत के पास स्वीकृत था एवं 50 शौचालय का निर्माण करवाया था, शौचालय निर्माण का कार्य तत्का. कार्यपालन यंत्री श्री सावनेर व श्री सोलंकी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बुरहानपुर द्वारा परीक्षण कर लिया था एवं शौचालय राशि पात्र हितग्राहियों के खाते में हस्तान्तरित की गई थी कार्य प्रगति पर था इसका परीक्षण किया था। निस्तार तालाब के निर्माण में जेसीबी मशीन का उपयोग करने के बारे में उल्लेख है। यह गांव की राजनिती का प्रतिष्ठा के कारण व मेरे निरीक्षण उपरान्त, सहायक यंत्री श्री मानकर द्वारा परीक्षण करने के बाद कार्य स्थल पर ऐसा कोई प्रमाण नही मिले।

श्री दिनेश पंवार सहायक सचिव ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा दिनांक 29.09.2018 को प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया है कि 50 शौचालय में से 19 शौचालय पूर्ण पाये गये है। शौचालय निर्माण की जो राशि वसूली योग्य होगी में जमा करने हेतु सहमत हूँ। निस्तार तालाब निर्माण सुरेश लक्ष्मीचन्द्र के खेत में जेसीबी मशीन से नही किया गया अपितु ट्रेक्टर के माध्यम से खुदाई का कार्य किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि निस्तार तालाब निर्माण का कार्य मजदूरों से ना कराकर ट्रेक्टर या अन्य मशीन से खुदाई कार्य कराया गया।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/5127 दिनांक 07.12.2018 द्वारा ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत खकनार को ग्राम पंचायत सांडसकला के शौचालय निर्माण कार्य की पुनः जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री दीपक खेडे ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत खकनार द्वारा दिनांक 27.12.2018 को पुनः जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत सांडसकला के 49 शौचालय का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें 35 शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया शेष 14 शौचालय अपूर्ण अवस्था में पाये गये जिसकी प्रथम किश्त का भुगतान किया गया परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कुल 23 शौचालय की प्रथम किश्त 6000 रू. के मान से 132000/– संबंधित हितग्राहीयों को प्रदाय नही किये जाने से राशि वसूली योग्य दर्शायी गई।

मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन अनावेदकगणों के जवाब शासन साक्षियों के कथन का अवलोकन करने पर पाया गया कि कियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा 14 शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण नही कराया गया तथा 23 शौचालय निर्माण कार्य हेतु हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि 6000/–रू. के मान से कुल राशि 132000/–रू. प्रदाय नही की गई। उक्त राशि सरपंच एवं सचिव, ग्राम रोजगार सहायक से वसूली योग्य है। श्री मुकेशसिंह चौहान तत्का. अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के दिनांक 29.09.2018 को दिये गये कथन में सिद्ध है कि ग्राम पंचायत सांडसकला में जेसीबी मशीन से निस्तार तालाब निर्माण के कार्य की जांच दिनांक 11.03.2017 को की गई। मौका स्थल पर जेसीबी मशीन के टायरों के निशान पाये गये। निर्माण कार्य में जारी मस्टर रोल पर फर्जी हाजरी की जाना पाया है। उक्त कार्य में सरपंच सहायक सचिव एवं उपयंत्री की संलिप्ता पाई गई कियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत सांडसकला द्वारा निस्तार तालाब निर्माण कार्य मजदूरों के स्थान पर जेसीबी मशीन से कार्य कराया जाकर नियम विरूद्ध कार्य किये जाने से राशि 174479/–रू. मे से श्री सुरज रघुनाथ सरपंच 58159/–रू, श्री दिनेश पंवार सहायक सचिव 58160/–, श्री चन्द्रकांत भारद्वाज उपयंत्री 58160/–रू. एवं शौचालय निर्माण की 132000/–रू की वसूली योग्य राशि श्री सुरज रघुनाथ सरपंच 44000/–रू, श्री दिनेश पंवार सहायक सचिव 44000/–, श्री प्रकश फतेहसिंग तत्का सचिव ग्राम पंचायत साडसकला 44000/–रू. इस प्रकार सरपंच श्री सुरज रघुनाथ सरपंच राशि 102159/–रू, श्री दिनेश पंवार सहायक सचिव 102160/–, श्री चन्द्रकांत भारद्वाज उपयंत्री 58160/–रू., श्री प्रकश फतेहसिंग तत्का सचिव ग्राम पंचायत साडसकला 44000/–रू. वसूली योग्य राशि संबंधित आदेश पारित होने के 15 दिवस में जनपद पंचायत कार्यालय खकनार में जमा कराकर जमा रसीद प्रस्तुत करें। राशि जमा ना कराया जाने पर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 70 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये संबंधित स्वंय जिम्मेदार होगें।

आदेश आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय में पारित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

(शैलेन्द्र सिंह) 29/1/19
IAS
विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

प्रतिलिपि

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर